



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-112/2026/197 के-2/22-3-2025-17(346)/2025
लखनऊ: दिनांक: 20 अप्रैल, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-432) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी भीकम सिंह (बन्दी संख्या-26923) पुत्र श्री सरनाम सिंह, निवासी-नगला मन्, थाना-करहल, जनपद-मैनपुरी, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-138/1996 के अन्तर्गत भा०द०वि० की धारा-302 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं०-03, मैनपुरी के आदेश दिनांक 28.06.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21.12.2021 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 12-01-2025 तक 15 वर्ष, 02 माह, 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 05 माह, 26 दिन की सपरिहार सजा भोगने तथा जेल आचरण सन्तोषजनक होने के दृष्टिगत बन्दी को 30प्र० जेल मैनअल, 2022 के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत नामिनल रोल के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि बन्दी को किसी अन्य वाद में कारागार में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी के संतोषानुसार दो जमानत मुचलके तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, 30प्र० लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।
- 3- पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
- 5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि०) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि०) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
- 6- निजी सचिव, मा० मंत्री/मा० राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, 30प्र० शासन को मा० मंत्री जी को सूचनार्थ
- 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, 30प्र० शासन।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।